

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... मुकाम.....

(SDO) कायदा

पुरो राम

बनाम

देवाराज वीरा

किस्म मुकदमा रां.डा.वेदन 111, 128 R/R नं. 385/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/12/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>चेतन राम श्री</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>LRI, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पॉण्डेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>09/02/2021</u> को पेश हो।</p>	
09/02/2021	<p>पत्रावली पेश करे उपर्युक्त परिपत्रन उपस्थित</p> <p>की तामील में कार्य का अन्त रिया है</p> <p>अन्तः पत्रावली इन्तववा हाकर दिनांक <u>20/04/2021</u></p> <p>को पेश हो।</p>	<p><u>वि.प्र. श्री</u></p> <p>राज्यक कलक्टर (SDO)</p> <p>कायदा</p> <p>जिला - बाड़मेर</p>
20/04/2021	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/प्रतिवादी</p> <p>को नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड</p> <p>एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त</p> <p>नहीं हुई है। अतः पीठासीन अधिकारी</p> <p>का पद रिक्त होने से किताब इन्तववा</p> <p>दोहर लागू दिनांक - <u>12/07/2021</u> को पेश हो।</p>	
12/07/2021	<p>पत्रावली पेश करे उपर्युक्त परिपत्रन उपस्थित</p> <p>पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है</p> <p>अन्तः पत्रावली इन्तववा हाकर दिनांक <u>19/10/2021</u></p> <p>को पेश हो।</p>	

19/10/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्राथीगणों
एसी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठाधीश्वर
अधिष्ठाता प्रशासन जॉर्जों के संग सम्मिलित-2021
उपरो में व्यत्यय होने से सिवाल इलाका कोर्ट
आज्ञापी दिनांक-13/01/2022 को फेर दी।

न्यायालय उपखण्ड
प्रार्थना पत्र

13/01/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्राथीगणों के नोडियल
द्वारा से जरूरी रजिस्ट्रार एसी अजवाबे जसे जिनको
इलाक 14 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका
है जिनकी कोर्ट से कोई उपस्थित नहीं हुआ, न्यायालय
समय लीन बाए कावाज लगाई गई, अंततः कावाज
5.45 pm पर लगाई गई, विप्राथीगण स्वयं या उनकी
भोर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा
विप्राथीगणों के विरुद्ध एडवोकेट डायरेक्टर कमल मेंलाई
जाती है मिला; वादते वदम पत्रावली दिनांक-05/05/2022
को फेर दी।

सहायक कलेक्टर (SDO)
वायतु

25/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्राथीगण वावजुद
तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई,
प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं
विप्राथीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी
एवं विप्राथीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं
कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर
गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्राथीगणों के बीच खेत की
सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण
प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने
बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के
नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी
आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी
का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार
वायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया
जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक
से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर
कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त
होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो,
दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
वायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 775

दिनांक : 25/05/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. पूराराम पुत्र सालूराम,
जाति जाट, निवासी खवालिया नाडा,
पटवार मण्डल बोड़वा,
तहसील बायतु (बाडमेर)


1. देवाराम पुत्र गिरधारीराम वगैरा 25,
जाति जाट, निवासी सुथारो की ढाणी,
पटवार मण्डल बोड़वा,
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 385 / 2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - खवालिया नाडा, पटवार मण्डल - बोड़वा, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 227, 229, 307/222, 316/228, 339/228, 339/228, 340/228 रकबा क्रमशः 0.0243, 0.0890, 0.4288, 4.8055, 0.0971, 1.9578 हैक्टर व मौजा सुथारों की ढाणी पटवार मण्डल बोड़वा तहसील बायतु के खेत खसरा नं. 133/16, 90/16, 90/16 रकबा क्रमशः 4.4657, 4.5789 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 776 - 80

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पूराराम पुत्र सालूराम,
4. विप्रार्थी श्री देवाराम पुत्र गिरधारीराम वगैरा 25,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 25/05/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाडमेर